

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19102022-239746
SG-DL-E-19102022-239746असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]	दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/अश्विन 27, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 301
No. 465]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 301

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2022

सं. फा./2/1/88/गृह पुलिस-2/खण्ड-I/2452 to 2455.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/10/2022 to 18/01/2023 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

राजन भटनागर, उप सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th October, 2022

F. No. 2/1/88/HP-II/Pt.-I/2452 to 2455.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19/10/2022 to 18/01/2023 the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-II)